अनुसूची 21—फरम सं० 113

2681 26779

संपत्ति अवभार प्रमाण-पत्र

9767 26779

प्रमाण-पत्र संख्या 19..... आवेदन सं० 19.....

चूंकि श्री Bishwajeet Kumar Sinha

ने मेरे पास आवेदन दिया है कि निम्नांकित संपत्ति के संबंध में निर्धारित संव्यवहारों और अवभारों का संविवरण प्रमाण-पत्र दिया जाये। (आवेदन में दिये गये तथ्य के अनुसार विवरण दे।)

इसलिये मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि उक्त संपत्ति को प्रभावित करने वाले संव्यवहारों और अवभारों के बारे में मेरी में और उससे सम्बद्ध अनुक्रमणिकों में प्रा० 2008 से 19 तक 19 तक तलाशी की गयी और ऐसी तलाशी के बाद निम्न संव्यवहारों और अवभारों का पता चला As per index II

..... चला है अतः रजिस्ट्रार के अनुसार है)

क्र० सं०	(क) संपत्ति का विवरण	निष्पादन की तारीख	(ख) दस्तावेज का प्रकार और मूल्य	पक्षों के नाम		दस्तावेज की प्रविष्टि के प्र० निदेश		
				निष्पादक	दावेदार	जिल्द	वर्ष	पृष्ठ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Mauza — Jalalpur Mohalla — " LIC Colony Sr. Plot No — 231 Khata No — 207 Thana No — 22 P.S. — Rupaspur, Danapur Plot Area — 37 Decimals Boundary :- North — Ranjeet Singh South — Branch Road East — Mosmat Menhonwor Devi West — Branch Road.							

Director

Nexgen Dr... Ltd

अनुसार विवरण दर्ज करें।

... की तिथि ज्ञात की कर और भुगतान की अवधि दर्ज करें। जहाँ भी उनके बारे में उल्लेख हो।

3. पट्टे की दशा में पट्टे की अवधि और वार्षिक लगान दर्ज करें।

मैं यह प्रमाणित करता हूँ कि उपर्युक्त संव्यवहारों और अवभारों को छोड़ उक्त संपत्ति को प्रभावित करने वाले किसी अन्य संव्यवहार और अवभार का पता नहीं चला है।

निम्न व्यक्ति ने तलासी की प्रमाण-पत्र तैयार किया:

(हस्ताक्षर): [signature]

(पदनाम): U.D.C

तलासी का सत्यापन और प्रमाण की जांच निम्न व्यक्ति ने की:

(हस्ताक्षर): [signature]

(पदनाम): U.D.C

कार्यालय: Sub Registrar, Darrabur

तारीख: 26/7/09

26/7/09

मुहर एवं निबंधन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

टिप्पणी:--इस प्रमाण-पत्र में जो संव्यवहार और अवभार दिखाये गये है वे आवेदन द्वारा प्रस्तुत संपत्ति विवरण के अनुसार पाये गये है। यदि आवेदक द्वारा किये गये विवरण से भिन्न विवरण देकर किन्हीं किन्हीं संपत्तियों को निबंधित दस्तावेजो में दिखाया गया हो तो वैसी दस्तावेजों से प्रमाणित संव्यवहार (ट्रान्जेकशनस) इस प्रमाण-पत्र में शामिल न किये जायेगें।

2. निबंधन अधिनियम की धारा-५७ के अधीन जो व्यक्ति (बाहयों) और अनुक्रमाणियों (इन्डेन्स) की प्रवष्टियाँ देखना चाहते हों अथवा उनकी प्रतिलिपि लेना चाहते हों जिन्हें निर्दिष्ट संपत्तियों के अवभारों के प्रमाण-पत्रों की जरुरत हो उन्हे तलासी स्वयं करनी होगी। निर्धारित फीस का भुगतान करने पर बहियाँ और अनुक्रमाणियाँ उनके पास सामने रखदी जायेगी।

(क) किन्तु चूँकि वर्तमान मामले में आवेदक ने स्वयं तलासी नहीं की है, इसलिये कार्यालय अपेक्षित तलासी प्रमाण की किसी भूल के लिये किसी भी तरह जिम्मेवार नहीं होगा।

(ख) और चूँकि वर्तमान मामले में आवेदक ने अपेक्षित तलासी स्वयं की है, और चूँकि उसके बाद ढूँढे गये संव्यवहारों और अवभारों के सत्यापन के बाद प्रमाण-पत्र में दिया है, इसलिए विभाग आवेदक द्वारा ढूँढे गये ऐसे संव्यवहारो और अवभारों की छूट के लिए किसी तरह जिम्मेदार न होगा जिससे उक्त संपत्ति पर प्रभाव पड़ता हो।

कार्यालय, जिला निबंधक Sub Registrar, Darrabur दिनांक 27/7/09

ज्ञाप संख्या 2590

आवेदक श्री Bishwajeet Kumar Sinha

का अवभार प्रमाण-पत्र द्वारा Z-D.B.I.-Bank, Lima Complex, Patna,

का उनके पत्र संख्या दिनांक के प्रसंग में अग्रसारित की जाती है।

निबंधन पदाधिकारी,

28/7/09

SPL-460/98-2,00,000

Sub Registry Office, Danapur

Receipt for search, inspection and copy

Misc token no. Serial no. 9767

Year Date 26-7-19

Received from

Following fees:

F (I)- 0 F (III)- 0 G- 0

F (II)- 0 F (iv)- 0 G(a)- 0

Total- 0

260/-

Registering Officer